सं0–377/XXVIII–5—2006–44 /2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक : 27 मार्च, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद टिहरी में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/आवासीय भवन/20/2005 दिनांक 5–9–.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद टिहरी में विभिन्न स्थानों पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 59,62,000.00 (रू0 उनसठ लाख बासठ हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन द्वारा रू0 59,62,000.00 (रू0 उनसठ लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियो के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् अपर परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जावेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नही की जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7— कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8— एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11— आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13— निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14— निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15— उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16— उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–आयोजनागत,

110–अस्पताल तथा औषधलय–00– 14–आवासीय भवनों की व्यवस्था 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 के कालँग–1 की बचतों से वहन किया जायेगा ।
17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1388 / वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3 / 2006 दिनांक 28.03.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।
संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या –377(1) / xxviii–5–06–44 / 05 तद्‌दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी टिहरी ।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी।
6– परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
7– निजी सचिव मा0मुख्यमंत्री।
8– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3 / नियोजन विभाग / एन.आई.सी.
10– आयुक्त कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश सं0–337/XXXVIII–5–2005–44/2005 दिनांक27-3-06का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2005–06 में स्वीकृत धनराशि
1	प्रा0स्वा0के0 गैण्डखाल में आवासीय भवनों का निर्माण।	टिहरी	पेयजल निगम	13.82	13.82
2	रा0एलो0चिकि0 कोडरना में आवासीय भवनों का निर्माण।	टिहरी	पेयजल निगम	4.65	4.65
3	रा0एलो0चिकि0 बैजवाड़ी में आवासीय भवनों का निर्माण।	टिहरी	पेयजल निगम	14.55	14.55
4	रा0एलो0चिकि0रजाखेत में आवासीय भवनों का निर्माण।	टिहरी	पेयजल निगम	4.80	4.80
5	एस0पी0एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश में आवासीय भवनों का निर्माण।	टिहरी	पेयजल निगम	21.80	21.80
	योग			59.62	59.62

(रू0 उनसठ लाख बांसठ हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव